मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 मई 2014-वैशाख 26, शके 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम कु. वन्दना पाण्डे पुत्री श्री विश्वेश्वर दयाल पाण्डे अंकित है. मेरा विवाह दिनांक 18-06-1998 को श्री संजीव कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री राजाराम शर्मा, निवासी लाल कुंअर का पुरा, तारागंज, लश्कर, ग्वालियर (म. प्र.) से सम्पन्न हो गया है. विवाह के पश्चात् मैं उपनाम परिवर्तन कर रही हूं.

अत: अब मुझे समस्त दस्तावेजों में कु. वन्दना पाण्डे के स्थान पर श्रीमती वन्दना शर्मा पत्नी श्री संजीव कुमार शर्मा के नाम से पढ़ा, लिखा एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(वन्दना पाण्डे)

पुत्री श्री विश्वेश्वर दयाल पाण्डे

(54-बी.)

नया नाम :

(वन्दना शर्मा)

पत्नी श्री संजीव कुमार शर्मा,
निवासी-लाल कुंअर का पुरा,
तारागंज लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, खुजेमा जेनुद्दीन ने अपना नाम परिवर्तन कर मुफद्दल नजरमुनीम कर लिया है. अब से मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

(खुजेमा जेनुद्दीन)

(55-बी.)

नया नाम :

(मुफद्दल नजरमुनीम)

पता—98, मसाकिन-ए सेफिया, बिजलपुर,
इन्दौर (म. प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम सेल्वा मोहन इरूलेंडी था, वर्तमान में मेरा परिवर्तित नाम मोहन प्रकाश हो गया है. अब भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :	नया नाम :
(सेल्वा मोहन इरूलेंडी)	**(मोहन प्रकाश)**
आत्मज—अतिअप्पन इरूलेंडी	आत्मज—अतिअप्पन इरूलेंडी
(Selva Mohan Irulandy)	**(Mohan Prakash)**
S/o Atiappan Irulandy	S/o Atiappan Irulandy

(56-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे शासकीय एवं अशासकीय अभिलेखों में कहीं-कहीं पर मेरा नाम "रमेश चन्द्र विश्वकर्मा" अंकित है जो कि गलत है. जबकि वास्तविक में मेरा नाम रमेश चन्द विश्वकर्मा पुत्र श्री रामचन्द्र प्रसाद विश्वकर्मा है, जो कि सही है. भविष्य में मुझे समस्त सरकारी अथवा गैर सरकारी अभिलेखों में मुझे रमेश चन्द विश्वकर्मा के नाम से पढ़ा, लिखा एवं जाना जावे.

पुराना नाम :	नया नाम :
(रमेश चन्द्र विश्वकर्मा)	**(रमेश चन्द विश्वकर्मा)**
पुत्र रामचन्द्र प्रसाद विश्वकर्मा	पुत्र श्री रामचन्द्र प्रसाद विश्वकर्मा, वनमण्डलाधिकारी आवास, शासकीय काष्ठागार के पास, सतना रोड, पन्ना (म. प्र.).

(57-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम कुमारी "रश्मि शर्मा" पुत्री श्री राजाराम शर्मा था जो शादी के बाद बदलकर श्रीमती रश्मि विश्वकर्मा पत्नी श्री रमेश चन्द विश्वकर्मा हो गया है. अत: अब मुझे मेरे नये नाम श्रीमती रश्मि विश्वकर्मा के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :	नया नाम :
(रश्मि शर्मा)	**(रश्मि विश्वकर्मा)**
पुत्री श्री राजाराम शर्मा	पति श्री रमेश चन्द विश्वकर्मा वनमण्डलाधिकारी आवास, शासकीय काष्ठागार के पास, सतना रोड, पन्ना (म. प्र.).

(58-बी.)

NOTICE

NOTIFICATION UNDER SECTION 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given for public information that Smt. Munnibai Agrawal W/o Shri Gordhanlal Agrawal has retired from the partnership business of the firm named M/s Shiv Shankar Udhyog, 159, Sajan Nagar, Indore (M.P.). as partner vide Regn. No. 2111, dated 09-01-1979 year 1978-79 as from 01-04-2014 and Ku. Deepali Agrawal D/o Shri Jitendra Agrawal have been admitted in the partnership business of the said firm as a partner as from 01-04-2014 and the constitution of the firm stands altered accordingly.

For : M/s Shiv Shankar Udhyog,
Jitendra Kumar Agrawal
(Partner).

(60-B.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स आशीर्वाद एन्टरप्राइसेस पंजीयन क्रमांक 03/27/03/00030/04/सन् 2004-05, दिनांक 18-06-2004 पर पंजीकृत फर्म है, जिसमें यह भागीदार हैं, इन भागीदारों में से निम्न भागीदार फर्म से दिनांक 01-04-2005 को पृथक् हो रहे हैं. 1. राजेन्द्र वर्मा पुत्र श्री रोड सिंह वर्मा, 2. मीना वर्मा पति राजेन्द्र वर्मा एवं निम्न भागीदार फर्म में दिनांक 01-04-2005 को सम्मिलित हो रहे हैं. 1. अमित कुमार नामदेव पुत्र महेन्द्र सिंह, 2. अनिता सिंह पति महेन्द्र सिंह, 3. कस्तुरी बाई पति श्री हरपाल सिंह, 4. हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री शरदा प्रसाद सिंह, 5. मनीषा नामदेव पति मुकेश कुमार.

वास्ते—आशीर्वाद एन्टरप्राइसेस,
हरेन्द्र सिंह,
(62-बी.) (पार्टनर).

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स आशीर्वाद एन्टरप्राइसेस पंजीयन क्रमांक 03/27/03/00030/04/सन् 2004-05, दिनांक 18-06-2004 पर पंजीकृत फर्म है, जिसमें यह भागीदार हैं, इन भागीदारों में से निम्न भागीदार फर्म से दिनांक 01-04-2012 को पृथक् हो रहे हैं. 1. अनिता सिंह पुत्री बनमाली सिंह, 2. ममता सिंह पति श्री महेन्द्र सिह, 3. मनीषा नामदेव पति मुकेश कुमार एवं निम्न भागीदार फर्म में दिनांक 01-04-2012 को सम्मिलित हो रहे हैं. 1. अवतार सिंह भटिया पुत्र श्री गोकुल सिंह भटिया, 2. खुशवंत सिंह भटिया पुत्र सुरेन्द्र सिंह भटिया.

वास्ते—आशीर्वाद एन्टरप्राइसेस,
हरेन्द्र सिंह,
(62-A-बी.) (पार्टनर).

सार्वजनिक सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म सिंह एसोसिएट्स सिटी सेन्टर, ग्वालियर में कुछ संशोधन किये हैं, वे निम्नानुसार हैं :—

1. 01 अप्रैल, 2002 में पार्टनर श्री सुरेन्द्र राय के स्थान पर श्री कैलाश लाहरिया पुत्र शिवचरण लाहरिया को पार्टनर नियुक्त किया गया. 2. 24 फरवरी, 2004 में द्वितीय पार्टनर श्रीमती नन्नाजू राजा की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर श्रीमती सरोज बुन्देला को पार्टनर नियुक्त किया गया. 3. 20 जुलाई, 2011 को नये पार्टनर अनुराग सिंह परमार पुत्र श्री पृथ्वी सिंह परमार शामिल किया गया.

कैलाश लाहरिया
(63-बी.) मै. सिंह एसोसिएट्स.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स डीयरहिल स्थित आजाद नगर, गली नं. 1, मुरार, ग्वालियर में दिनांक 28-03-2013 से भागीदार क्रमशः (1) केशव सिंह पुत्र श्री रतन सिंह, नि. खुरेरी, परगना ग्वालियर, (2) ज्ञान बावू पुत्र श्री जगत सिंह यादव, निवासी ग्राम बड़ा गाँव, मुरार, ग्वालियर, (3) श्रीमती काशीबाई पत्नी श्री बावू सिंह, नि. खुरेरी, जिला ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 28-03-2013 से क्रमशः (1) राजवीर सिंह यादव पुत्र श्री जगत सिंह यादव, निवासी बड़ा गाँव, ग्वालियर, (2) गजेन्द्र यादव पुत्र श्री फूलसिंह यादव, निवासी बड़ा गाँव, मुरार, ग्वालियर, (3) वैभव भदौरिया पुत्र श्री कृष्ण कुमार भदौरिया, निवासी दर्पण कॉलोनी, थाटीपुर, ग्वालियर, (4) विनोद यादव पुत्र श्री सागर सिंह यादव, नि. मोहनपुर, मुरार, ग्वालियर फर्म में नवीन साझेदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं तथा दिनांक 05-05-2014 से भागीदारी क्रमशः (1) वैभव भदौरिया पुत्र श्री कृष्ण कुमार भदौरिया, निवासी दर्पण कॉलोनी, थाटीपुर, ग्वालियर, (2) विनोद यादव पुत्र श्री सागर सिंह यादव, नि. मोहनपुर, मुरार, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 05-05-2014 से क्रमशः (1) ऋषभ भदौरिया पुत्र श्री कृष्ण भदौरिया, नि. भदौरिया मार्केट, दर्पण कॉलोनी, मुरार, ग्वालियर, (2) दिनेश यादव पुत्र श्री सगर सिंह यादव, निवासी मोहनपुर, मुरार, जिला ग्वालियर, (3) रंजीत राजपूत पुत्र श्री सरदार सिंह राजपूत, नि. बड़ा गाँव, मुरार, ग्वालियर, फर्म में नवीन साझेदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं तथा इसी दिनांक 05-05-2014 से फर्म का मुख्य स्थान आजाद नगर, गली नं. 1, मुरार, ग्वालियर से नवीन स्थान दुकान नं. 15/16 मिलेनियम प्लाजा, गोविन्दपुरी, सिटी सेन्टर, ग्वालियर हो गया है. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

सचिन गुप्ता
फर्म—डीयरहिल,
आजाद नगर, गली नं. 1, मुरार, ग्वालियर (म. प्र.).
द्वारा—राजीव जैन (सी. ए.)
(61-बी.) द्वितीय तल, सांई अपार्टमेंट, जयेन्द्रगंज, लश्कर, ग्वालियर.

NOTICE

U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firm "NIRMAAN" of Bhopal Vide Registration No. 01/01/01/00029/2009-2010 on Dated 02/05/2009 undergone the following changes:-

1. That "NIRMAAN" shall be continued to carry on the business of partnership firm at First Floor R-28, Purushotam East End, Zone 2, M. P. Nagar, Bhopal-462011 w.e.f. 20/10/2012.

Vijay Kumar Amar
(Partner)
"NIRMAAN"
First Floor R-28, Purushotam East End,
Zone 2, M. P. Nagar, Bhopal-462011.

(64-B.)

जाहिर सूचना

मैसर्स उदित कन्स्ट्रक्शन एण्ड कम्पनी, 4-A, लक्ष्मी कम्पाउन्ड, नियर लव-कुश अपार्टमेन्ट, ईदगाह हिल्स, भोपाल, जो कि पार्टनरशिप फर्म में है, दिनांक 03-04-2010 से निम्न परिवर्तन किये गये हैं, जिसमें एक पार्टनर श्री कदीर अंसारी आत्मज श्री हमीद अंसारी, उम्र-48 वर्ष, फर्म से रिटायरमेंट हो रहे हैं एवं दिनांक 07-04-2014 से भागीदारों का लाभ-हानि का जो शेयर है, उसे पार्टनरशिप डीड दिनांक 03-04-2010 एवं 07-04-2014 के हिसा से परिवर्तन किया गया है.

सुनील चोटरानी
(पार्टनर)
मैसर्स उदित कन्स्ट्रक्शन एण्ड कम्पनी.

(66-बी.)

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय कलेक्टर, मण्डला

मण्डला, दिनांक 31 दिसम्बर, 2013

क्र./एस.सी./2013-14/721.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-2/1999/1/4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च, 1999 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर मण्डला वर्ष 2014 में मण्डला जिले के लिये निम्नांकित तिथियों को सम्पूर्ण दिवस के लिए स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं :—

क्रमांक	दिनांक	दिन	स्थानीय अवकाश का नाम
1.	18 मार्च, 2014	मंगलवार	होली का दूसरा दिन (भाईदूज)
2.	04 अक्टूबर, 2014	शनिवार	दशहरा का दूसरा दिन
3.	24 अक्टूबर, 2014	शुक्रवार	दीपावली का दूसरा दिन

उक्त अवकाश बैंकों, कोषालयों/उपकोषालयों के लिए लागू नहीं होंगे.

लोकेश कुमार जाटव,
कलेक्टर.

(325)

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 05 मई, 2014

क्र.जी.बी.चार/मशी.(4)/2014-15/1394.—निम्नलिखित मशीनों के क्रय हेतु आई. टी. डिपार्टमेंट के सिस्टम पोर्टल-**www.mpeproc.gov.in** से ऑन लाईन निविदायें की-डेट अनुसार आमंत्रित की जाती हैं.

1. हैण्ड नम्बरिंग मशीन 6 डिजिट (मैक्स ओरिजनल)

2. हैण्ड नम्बरिंग मशीन 7 डिजिट (मैक्स ओरिजनल)

टेण्डर फॉर्म, शर्तें एवं निविदा के अनुबंध का प्रारूप वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** पर अवलोकन हेतु रखा गया है.

किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने की सूचना **www.mpeproc.gov.in** पर उपलब्ध रहेगी.

(341)

Bhopal, Dated 05th May, 2014

TENDER NOTICE

No. GB-IV/Machinery/(4)/2014-15/1394.— Online tenders for the following work have been processed on the IT Department System Protal **www.mpeproc.gov.in** The tenders will be available on the portal as per Key Dates (for online registration/queries please contact 18002745454,18002748484, 0906135442).

1. Hand Number Machine, 6 Digit (Max Original)

2. Hand Number Machine, 7 Digit (Max Original)

2. Tender Document can also be viewed on **www.govtpressmp.nic.in**

3. All corrigendum / amendments / changes, if any will only be issued and made available only on website **www.mpeproc.gov.in.**

RENU TIWARI,
Controller,
Govt. Printing and Stationery,
Madhya Pradesh, Bhopal.

(341-A)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास, जबलपुर

जारी दिनांक 29 अप्रैल, 2014

राजस्व प्र. क्र. 5/बी-113/4/12-13.

प्रारूप-4

[नियम 5 (1) देखिये]

चूंकि श्री वासुदेव खत्री आत्मज स्व. श्री दुल्हानोंमल खत्री, निवासी ए पी आर कॉलोनी, कटंगा, जबलपुर द्वारा "श्री कल्याणिका तपोवन ट्रस्ट", लम्हेटा, धुआंधार रोड, गोपालपुर, जबलपुर के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शाई गई संपत्ति लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

अत: एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मेरे न्यायालय में दिनांक 03 जून, 2014 को विचार के लिए नियत किया गया है. कोई भी व्यक्ति उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है अथवा उक्त दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की संपत्ति का विवरण, लोक न्यास का नाम और पता)

1.	लोक न्यास का नाम	:	''श्री कल्याणिका तपोवन ट्रस्ट'', लम्हेटा, धुआंधार रोड, गोपालपुर, जबलपुर.
2.	चल सम्पत्ति	:	(I) आईडीबीआई बैंक, शाखा राइट टाउन, जबलपुर में बचत खाता क्र.-52104000385152 में जमा राशि रु. 39,023/-.
			(II) नगद राशि रु. 12,555/-
3.	अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

नेहा माख्या,
पंजीयक.

(326)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत]

आदेश में वर्णित प्रारूप के कालम क्रमांक 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं जिनके पंजीयन क्रमांक कालम 4 में दर्शित हैं एवं कालम क्रमांक 5 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर कालम क्रमांक 06 में उल्लेखित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है. अंतिम स्थित विवरण पत्रक का सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं द्वारा नियुक्त अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संस्थाओं का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. निम्न संस्थाओं का अस्तित्व आज दिनांक 20 मार्च, 2013 से निर्गमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में नहीं रहेगा.

प्रारूप

क्रमांक	नाम संस्था	विकासखण्ड	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5	6
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दसंगा.	खरगोन	1480/ 03-03-2006	1327/ 07-10-2013	श्री बी. एस. सोलंकी स. वि. अधि., खरगोन.
2.	माँ गायत्री कामगार कारीगर सह. संस्था मर्या., बेहगाँव.	महेश्वर	1187/ 29-09-2005	1396/ 27-09-2006	श्री आर. के. रोमडे, स. वि. अधि., महेश्वर.
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सांगवी.	खरगोन	1580/ 22-09-2009	1241/ 20-09-2013	श्री नवीन मुहावरे, सह. निरी.
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोगांवा.	खरगोन	1456/ 20-06-2003	1354/ 07-10-2013	श्री आर. के. रोमडे, स. वि. अधि., महेश्वर.

यह आदेश आज दिनांक 20 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(327)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत]

आदेश में वर्णित प्रारूप के कालम क्रमांक 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं जिनके पंजीयन क्रमांक कालम 4 में दर्शित हैं एवं कालम क्रमांक 5 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर कालम क्रमांक 06 में उल्लेखित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है. अंतिम स्थित विवरण पत्रक का सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं द्वारा नियुक्त अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संस्थाओं का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. निम्न संस्थाओं का अस्तित्व आज दिनांक 29 मार्च, 2014 से निर्गमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में नहीं रहेगा.

प्रारूप

क्रमांक	नाम संस्था	विकासखण्ड	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5	6
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., श्रीखंडी.	खरगोन	671/ 29-01-1985	1352/ 07-10-2013	श्री मोहन परमार, वरि. सह. निरी.
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुरपाला.	खरगोन	732/ 06-10-1989	1353/ 07-10-2013	श्री मोहन परमार, वरि. सह. निरी.
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सालीखेड़ा	बडवाह	1402/ 17-12-2004	1320/ 07-10-2013	श्री महेन्द्र ठाकुर, सह. निरी.
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हिरापुरा.	बडवाह	1334/ 31-03-2002	1351/ 07-10-2013	श्री एस. एल. वास्केल, वरि. सह. निरी.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. अलावा,
उप-पंजीयक.

(327-A)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

विपणन सहकारी समिति मर्यादित, बाबई, पंजीयन क्रमांक 2879, दिनांक 16 दिसम्बर, 2005 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/438, दिनांक 14 मार्च, 2014 द्वारा प्रभारी अधिकारी के पत्र दिनांक 02 सितम्बर, 2013 के आधार पर निम्नलिखित कारणों से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था :—

1. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं किया गया है.
2. संस्था के सदस्यों में संस्था की कार्यवाहियों के प्रति रुचि नहीं लेना.
3. अंकेक्षकों द्वारा ऑडिट किये जाने के उपरांत द वर्ग से वर्गीकरण किया गया है.
4. आमसभा में सदस्यों का उपस्थित नहीं होना.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के संबंध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

समिति द्वारा जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में भी सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद एवं प्रभारी अधिकारी विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, बाबई द्वारा पत्र क्रमांक/

अंकेक्षण/2013/448, दिनांक 08 नवम्बर, 2013 से समिति को अकार्यशील होने, उद्देश्य अनुसार कार्य करने में रुचि नहीं लेने, आमसभा में सदस्यों के उपस्थित नहीं होने से परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, बाबई को परिसमापन में लाता हूं एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री जी. पी. प्रजापति, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

काडमू पाटनकर,
उप-पंजीयक.

(328)

कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, जिला रतलाम

रतलाम, दिनांक 17 फरवरी, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2013/779, रतलाम, दिनांक 24 अगस्त, 2012 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, करोंदी, तहसील आलोट, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/515, दिनांक 20 जून, 1989 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री एन. के. जैन, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, करोंदी, तहसील आलोट, जिला रतलाम का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 17 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(329)

रतलाम, दिनांक 17 फरवरी, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2013/653, रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013 के द्वारा माही बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी मर्यादित, रावटी, तहसील सैलाना, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/843, दिनांक 15 दिसम्बर, 2006 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री ए. एस. राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए माही बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी मर्यादित, रावटी, तहसील सैलाना, जिला रतलाम का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 17 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(329-A)

रतलाम, दिनांक 17 फरवरी, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./बहुउ./2014/190.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2009/1558, रतलाम, दिनांक 29 दिसम्बर, 2009 के द्वारा प्राईम सहकारी साख सोसायटी मर्यादित, रतलाम, पंजीयन क्रमांक/752, दिनांक 07 जनवरी, 2000 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री आर. के. वर्मा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राईम सहकारी साख सोसायटी मर्यादित, रतलाम का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 17 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(329-B)

रतलाम, दिनांक 17 फरवरी, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2014/191.—परिसमापित मेमुना महिला बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम के परिसमापक द्वारा अपने पत्र दिनांक 30 जनवरी 2014 से अवगत कराया है कि संस्था के सदस्यों द्वारा दिनांक 05 जनवरी, 2014 के प्रस्ताव-ठहराव के द्वारा सर्वानुमति से संस्था को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है. परिसमापक की अनुसंशा एवं सोसायटी के सदस्यों द्वारा पारित ठहराव के अनुक्रम में मेरी राय में यह उपर्युक्त प्रतीत होता है कि संस्था के विकास कार्यों एवं सदस्यों के आर्थिक विकास से सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण प्रजातांत्रिक स्वरूप से किया जाने हेतु संस्था का परिसमापन समाप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेमुना महिला बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम का परिसमापन समाप्त करते हुए संस्था को पुनर्जीवित किया जाता है एवं संस्था के कामकाज हेतु निम्नानुसार कामकाज कमेटी को नामांकित करता हूँ. :—

1.	श्रीमती नसीम बानो	अध्यक्ष
2.	श्रीमती रसीदा बी	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती सलमा बी	सदस्य
4.	श्रीमती मुमताज बी	सदस्य
5.	श्रीमती रोशन	सदस्य

उपर्युक्त नामांकित कमेटी आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर निर्वाचन कराये जाने हेतु निर्वाचन का प्रस्ताव मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण तिलहन संघ भवन, 1-अरेरा हिल्स, भोपाल को कमेटी के प्रस्ताव, ठहराव एवं चार माह के पूर्व की स्थिति पर सदस्यता सूची एवं संस्था के पंजीकृत उपविधि की प्रमाणित प्रति सहित एक माह की समय-सीमा में प्रेषित करें एवं उसकी प्रतिलिपि इस कार्यालय को दी जावे.

यह आदेश आज दिनांक 17 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

पी. आर. कावड़कर,
उप-रजिस्ट्रार.

(329-C)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

देवास, दिनांक 14 मई, 2013

क्र./परि./2012/1487.—परशुराम साख सहकारी समिति मर्यादित, देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक/स.प.दे./872, दिनांक 18 नवम्बर, 1999 है तहसील देवास, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री संजय देवलालीकर, उप-अंकेक्षक को आदेश क्रमांक 1291, दिनांक 11 मई, 2012 से परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा दिनांक 23 मार्च, 2013 आयोजित कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संस्था के सदस्यों के आर्थिक उन्नति के हित में संस्था को पुनर्जीवित करना चाहते हैं. सहकारिता के विस्तार की दृष्टि से संस्था को पुनर्जीवित करना उचित है तथा परिसमापक के प्रस्ताव से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व बना रहना उचित है एवं उसे पुनर्जीवित करना उचित है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक /एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा-3 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परशुराम साख सहकारी समिति मर्यादित, देवास, तहसील देवास, जिला देवास को परिसमापन में लाने हेतु जारी किये गये आदेश को निरस्त करते हुए इस आदेश के तहत पुनर्जीवित करता हूँ तथा निर्देश देता हूँ कि तीन माह में संस्था अपना निर्वाचन पूर्ण करावे.

यह आदेश आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया.

(330)

देवास, दिनांक 28 मई, 2013

क्र./परि./2013/1562.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, छोटा माल्सापुरा, जिसका पंजीयन क्रमांक/स.प.दे./278, दिनांक 16 सितम्बर, 1976 है तहसील देवास, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री एच. आर. मालवीय, पर्यवेक्षक को आदेश क्रमांक 1243, दिनांक 29 अप्रैल, 2013 से परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा दिनांक 20 मई, 2013 आयोजित कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संस्था के सदस्यों के आर्थिक उन्नति के हित में संस्था को पुनर्जीवित करना चाहते हैं. सहकारिता के विस्तार की दृष्टि से संस्था को पुनर्जीवित करना उचित है तथा परिसमापक के प्रस्ताव से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व बना रहना उचित है एवं उसे पुनर्जीवित करना उचित है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक /एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा-3 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कोटा माल्सापुरा, तहसील देवास, जिला देवास को परिसमापन में लाने हेतु जारी किये गये आदेश को निरस्त करते हुए इस आदेश के तहत पुनर्जीवित करता हूँ तथा निर्देश देता हूँ कि तीन माह में संस्था अपना निर्वाचन पूर्ण करावे.

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया.

(330-B)

संशोधित आदेश

परशुराम साख सहकारी समिति मर्यादित, देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक/स.प.दे./872, दिनांक 18 नवम्बर, 1999 है तहसील देवास, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री संजय देवलालीकर, उप-अंकेक्षक को आदेश क्रमांक 1291, दिनांक 14 मई, 2012 से परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा दिनांक 23 मार्च, 2013 आयोजित कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संस्था के सदस्यों के आर्थिक उन्नति के हित में संस्था को पुनर्जीवित करना चाहते हैं. सहकारिता के विस्तार की दृष्टि से संस्था को पुनर्जीवित करना उचित है तथा परिसमापक के प्रस्ताव से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व बना रहना उचित है एवं उसे पुनर्जीवित करना उचित है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक /एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा-3 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परशुराम साख सहकारी समिति मर्यादित, देवास, तहसील देवास , जिला देवास को

परिसमापन में लाने हेतु जारी किये गये आदेश को निरस्त करते हुए इस आदेश के तहत पुनर्जीवित करता हूँ तथा निर्देश देता हूँ कि तीन माह में संस्था अपना निर्वाचन पूर्ण करावे.

यह आदेश आज दिनांक 03 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया.

(330-J)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 574, दिनांक 24 फरवरी, 2012 के द्वारा बाह्य शक्ति यंत्र औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., पुंजापुरा, तहसील बागली, जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 1024, दिनांक 23 जुलाई, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री ए. के. जैन, सहकारी निरीक्षक, को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 22 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(330-A)

देवास, दिनांक 31 दिसम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2265, दिनांक 05 सितम्बर, 2013 के द्वारा चर्मकार (शोधक) सहकारी संस्था मर्या., सन्नोड, तहसील देवास, जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 156, दिनांक 23 नवम्बर, 1968 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री बी. एल. गोठवाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(330-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1179, दिनांक 12 जुलाई, 2011 के द्वारा ग्रामीण तेल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सोनकच्छ, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 846, दिनांक 31 जनवरी, 1959 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती प्रेरणा जाम्भेकर, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की

धारा (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता, विभाग, भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(330-D)

देवास, दिनांक 30 जनवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 155, दिनांक..... के द्वारा विवेकानन्द साख सहकारी संस्था मर्या., टोंकखुर्द, तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक..... , दिनांक ..... है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती प्रेरणा जाम्भेकर, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 30 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(330-F)

देवास, दिनांक 30 जनवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/309.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक....., दिनांक..... के द्वारा आदि. वन श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., पीपरी, तहसील बागली, जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक....., दिनांक..... है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एम. एस. चौरसिया, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 30 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(330-G)

देवास, दिनांक 30 जनवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/310.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक....., दिनांक..... के द्वारा पानी पंचायत सहकारी संस्था मर्या., बिचकुंआ, तहसील ....., जिला ....., जिसका पंजीयन क्रमांक....., दिनांक..... है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री संजय देवलालीकर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 30 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(330-H)

देवास, दिनांक 30 जनवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/326.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2264, दिनांक 05 सितम्बर, 2013 के द्वारा तेल उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खातेगाँव, तहसील ....., जिला ....., जिसका पंजीयन क्रमांक 362, दिनांक 14 फरवरी, 1959 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री बी. एल. गोठवाल, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला.....,मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 30 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(330-I)

देवास, दिनांक 31 दिसम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2269, दिनांक 05 सितम्बर, 2013 के द्वारा शिल्पका, औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., कांटाफोड़, तहसील सत्वास., जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 106, दिनांक 12 जून, 1963 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार गोसाई S.A.को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(330-E)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

देवास, दिनांक 19 फरवरी, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, 70, 71 के अन्तर्गत)

सिद्ध विनायक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हाटपिपल्या, तहसील हाटपिपल्या, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1358, दिनांक 08 अगस्त, 2013 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 157, दिनांक 13 जनवरी, 2014, को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 12 फरवरी, 2014 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 19 फरवरी, 2014 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री ए. के. जैन, सहकारी निरीक्षक, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री ए. के. जैन, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(330-K)

देवास, दिनांक 19 फरवरी, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, 70, 71 के अन्तर्गत)

बालाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1361, दिनांक 08 अगस्त, 2013 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 156, दिनांक 13 जनवरी, 2014, को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 12 फरवरी, 2014 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 19 फरवरी, 2014 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विनोद सरय्याम, सहकारी निरीक्षक, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री विनोद सरय्याम, सहकारी निरीक्षक, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(330-L)

देवास, दिनांक 29 अप्रैल, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
श्री कृष्ण मॉडल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., देवास
पंजीयन क्रमांक 389, दिनांक 07 अक्टूबर, 1981.

1. सौ. गायत्रीदेवी श्रीमंत तुकोजीराव पवार
2. कमल रामलाल
3. प्रफुल्ल मधुकरराव शिन्दे
4. विक्रमसिंह तुकोजीराव पवार

5. गणपत गोपालजी
6. तुकोजीराव कृष्णाजीराव पवार
7. दिनेश कन्हैयालाल पंडित
8. शंकर
9. सौ. भारती देवी नरेन्द्र मोहिते.

क्र./परि./14/879.—आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निर्वाचन कक्ष द्वारा दी गई जानकारी अनुसार संस्था का निर्वाचन कार्यकाल पूर्ण होने पर निर्वाचन कराने हेतु पत्र क्रमांक/निर्वाचन/2013/1848, दिनांक 10 जुलाई, 2013 से आपको निर्वाचन हेतु सदस्यता सूची प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था. संस्था द्वारा निर्वाचन हेतु सदस्यता सूची प्रस्तुत न करने पर प्रथम स्मरण-पत्र, पत्र-क्रमांक/2138, दिनांक 13 अगस्त, 2013 दिया गया फिर भी निर्वाचन में कोई रुचि न होने पर अंतिम स्मरण-पत्र, पत्र क्रमांक/निर्वाचन/2014/804, दिनांक 09 अप्रैल, 2014 संस्था को दिया गया किन्तु संस्था के पदाधिकारियों द्वारा निर्वाचन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई, संस्था निर्वाचन कराये जाने हेतु तत्पर नहीं है.

साथ ही कार्यालयीन पत्र क्रमांक/निर्वाचन/2014/865, दिनांक 26 अप्रैल, 2014 से निर्वाचन में रुचि न लेने के कारण संस्था के विगत तीन वर्षों के आडिट नोट भेजने हेतु सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) को लिखा गया, उनके द्वारा पत्र क्रमांक 867, दिनांक 28 अप्रैल, 2014 से प्रस्तुत वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के अंकेक्षक क्रमशः श्री एम. एस. चौरसिया, सहकारी निरीक्षक, श्री एन. के. गुप्ता, व. स. नि. एवं श्री आर. सी. मालवीय, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत आडिट नोट में संस्था को पंजीकृत पते पर न होना तथा अकार्यशील बताते हुए परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की है.

साथ ही कलेक्टर, जिला देवास ने अपने पत्र क्रमांक/462/रीडर/नजूल/2014, देवास, दिनांक 28 अप्रैल, 2014 द्वारा अवगत कराया है कि संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं कर रही है तथा निर्देशित किया है कि संस्था को परिसमापन में लाया जाकर उन्हें अवगत कराया जावे.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था क्रियाशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. अतः यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 14 मई, 2014 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 अप्रैल, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

के. एन. त्रिपाठी,
उप-आयुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक.

(331)

कार्यालय परिसमापक, मालवा हस्तशिल्प औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, देवास

दिनांक 18 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

मालवा हस्तशिल्प औद्यो. सहकारी संस्था मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 798, दिनांक 22 दिसम्बर, 1995 है को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास के आदेश क्रमांक 26, दिनांक 03 जनवरी, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के, यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 18 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एच. एस. तिवारी,
परिसमापक.

(340)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 11 अप्रैल, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./14/1577.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत अंशुल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./आय. डी. आर/613, दिनांक 05 जून, 1996 है, सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ठहराव-प्रस्ताव पारित कर संस्था अकार्यशील होने से पंजीयन निरस्त हेतु पत्र कार्यालय को प्रस्तुत किया है. कार्यालय द्वारा प्रस्तुत आवेदन का परीक्षण हेतु श्री व्ही. के. उपरित, सहकारी निरीक्षक को आदेशित किया गया. इनके द्वारा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत कर स्पष्ट किया गया है कि संस्था अकार्यशील है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जगदीश कनोज, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर अंशुल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. एम. स्वर्णकार, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 अप्रैल, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(332)

इन्दौर, दिनांक 11 अप्रैल, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./14/1578.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत दीप गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./आय. डी. आर/630, दिनांक 06 सितम्बर, 1996 है, सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ठहराव-प्रस्ताव पारित कर संस्था अकार्यशील होने से पंजीयन निरस्त हेतु पत्र कार्यालय को प्रस्तुत किया है. कार्यालय द्वारा प्रस्तुत आवेदन का परीक्षण हेतु श्री के. एम. स्वर्णकार, सहकारी निरीक्षक को आदेशित किया गया. इनके द्वारा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत कर स्पष्ट किया गया है कि संस्था अकार्यशील है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए. मैं, जगदीश कनोज, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर दीप गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. एम. स्वर्णकार, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 अप्रैल, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(332-A)

इन्दौर, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) (1),(2), (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1455.—यह कि सागर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, पंजीयन क्रमांक डी. आर./आय.डी.आर./444, दिनांक 04 जून, 1987 का जिन प्रयोजनों के लिये पंजीयन किया गया था, उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है. इस संबंध में प्रभारी अधिकारी श्री सुरेन्द्र जैन, सहकारिता निरीक्षक द्वारा कार्यालय को पत्र प्रस्तुत कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया. कार्यालय द्वारा पत्र क्र./परिसमापन/2014/1309, दिनांक 23 मार्च, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया, जिसका उत्तर संस्था प्रभारी श्री सुरेन्द्र जैन, सहकारिता निरीक्षक द्वारा कार्यालय को दिनांक 26 मार्च, 2014 को प्रस्तुत किया गया.

उपरोक्त वर्णित कारण से स्पष्ट है कि संस्था के अस्तित्व में बने रहने के कोई कारण नहीं है एवं संस्था का गठन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था को बनाये रखने एवं मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों का पालन करने में संस्था को कोई रुचि नहीं है.

अत: मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि जिन प्रयोजनों के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था. उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है जिससे संस्था का अस्तित्व में बना रहना औचित्यपूर्ण नहीं है एवं संस्था के सदस्यों के हित में नहीं है.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सागर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, पंजीयन क्रमांक डी. आर./आय.डी.आर./444, दिनांक 04 जून, 1987 का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-18 (ए/क) (1) के अन्तर्गत निरस्त करता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क)(2) के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र जैन, सहकारिता निरीक्षक को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर यह निर्देशित करता हूँ कि वे अधिनियम की धारा-18(ए/क)(3) के अन्तर्गत आदेश दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के भीतर संस्था की आस्तियों की वसूली एवं दायित्वों के परिसमापन की कार्यवाही करें.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(332-B)

इन्दौर, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) (1),(2), (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1455.—यह कि श्री महावीर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, पंजीयन क्रमांक डी. आर./आय.डी.आर./912, दिनांक 22 जुलाई, 2003 का जिन प्रयोजनों के लिये पंजीयन किया गया था, उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है. इस संबंध में प्रभारी अधिकारी श्री सुरेन्द्र जैन, सहकारिता निरीक्षक द्वारा कार्यालय को पत्र प्रस्तुत कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया. कार्यालय द्वारा पत्र क्र./परिसमापन/2014/1308, दिनांक 23 मार्च, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया, जिसका उत्तर संस्था प्रभारी श्री सुरेन्द्र जैन, सहकारिता निरीक्षक द्वारा कार्यालय को दिनांक 26 मार्च, 2014 को प्रस्तुत किया गया.

उपरोक्त वर्णित कारण से स्पष्ट है कि संस्था के अस्तित्व में बने रहने के कोई कारण नहीं है एवं संस्था का गठन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था को बनाये रखने एवं मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों का पालन करने में संस्था को कोई रुचि नहीं है.

अत: मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि जिन प्रयोजनों के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था. उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है जिससे संस्था का अस्तित्व में बना रहना औचित्यपूर्ण नहीं है एवं संस्था के सदस्यों के हित में नहीं है.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महावीर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, पंजीयन क्रमांक डी. आर./आय.डी.आर./912, दिनांक 22 जुलाई, 2003 का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-18 (ए/क) (1) के अन्तर्गत निरस्त करता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क)(2) के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र जैन, सहकारिता निरीक्षक को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर यह निर्देशित करता हूँ कि वे अधिनियम की धारा-18(ए/क)(3) के अन्तर्गत आदेश दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के भीतर संस्था की आस्तियों की वसूली एवं दायित्वों के परिसमापन की कार्यवाही करें.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

जगदीश कनोज,
उप-आयुक्त सहकारिता.

(332-C)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2001/1881, विदिशा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2001 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कोटरा, तहसील एवं जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./353, दिनांक 23 नवम्बर, 1990 को परिसमापन में लाया जाकर श्री एस. के. जैन, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कोटरा, तहसील एवं जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कोटरा, तहसील एवं जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./353, दिनांक 23 नवम्बर, 1990 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 13 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(333)

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2005/1472, विदिशा, दिनांक 24 नवम्बर, 2005 से व्यापारिक समाज सहकारी संस्था मर्यादित, बासौदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2480, दिनांक 31 मार्च, 1924 को परिसमापन में लाया जाकर श्री ए. के. जैन, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा व्यापारिक समाज सहकारी संस्था मर्यादित, बासौदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये व्यापारिक समाज सहकारी संस्था मर्यादित, बासौदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2480, दिनांक 31 मार्च, 1924 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(333-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

अध्यक्ष, ऊँ सांई बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता मर्यादित, कस्बाखेड़ी हिनोतिया, तहसील नटेरन, जिला विदिशा ने अपने पत्र दिनांक 30 दिसम्बर, 2013 में लेख किया है कि संस्था आगे कोई कार्य करने के लिये तैयार नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने की कृपा करें. संस्था अध्यक्ष के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था पांच पत्र को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त सहकारी संस्था को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/271, दिनांक 07 मार्च, 2014 जारी किया गया कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये.संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, ऊँ सांई बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता मर्यादित, कस्बाखेड़ी हिनोतिया, तहसील नटेरन, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही. डी. एस./62, दिनांक 13 जनवरी, 2010 का परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड नटेरन को धारा-70 के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(333-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

श्री अरविंद रघुवंशी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड लटेरी ने अपने पत्र दिनांक 18 नवम्बर, 2013 में उल्लेख किया है कि आदर्श मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, रूसिया, तहसील लटेरी, जिला विदिशा निष्क्रिय संस्था है तथा संस्था का पंजीयन दिनांक से ही निर्वाचन नहीं हुआ है. श्री रघुवंशी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का लेख किया है.

श्री रघुवंशी के जांच प्रतिवेदन से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) एवं (ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त सहकारी संस्था को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना -पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/272, दिनांक 07 फरवरी, 2014 जारी किया गया कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, आदर्श मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, रूसिया, तहसील लटेरी, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही. डी. एस./725, दिनांक 23 मार्च, 2007 का परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड लटेरी को धारा-70 के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(333-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

श्री योगेन्द्र सोनी, सहकारी निरीक्षक एवं निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा ने अपने पत्र दिनांक निल में उल्लेख किया है कि किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गंगरवाड़ा, तहसील व जिला विदिशा ने संस्था का निर्वाचन कराने में असमर्थता व्यक्त की है. साथ ही संस्था ने अपने पत्र दिनांक 20 फरवरी, 2012 में लेख किया है कि संस्था वर्तमान में कोई कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था अपना निर्वाचन भी नहीं कराना चाहती है, संस्था को परिसमापन में लाने का कष्ट करें. निर्वाचन अधिकारी एवं संस्था के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) एवं (ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त सहकारी संस्था को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/270, दिनांक 07 मार्च, 2014 जारी किया गया कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गंगरवाड़ा, तहसील व जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही. डी. एस./716, दिनांक 03 जुलाई, 2006 का परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड विदिशा को धारा-70 के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(333-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

गृह लक्ष्मी स्वायत्त सहकारिता मर्यादित, लटेरी की अध्यक्ष श्रीमती निशा भार्गव ने अपने पत्र क्रमांक एवं दिनांक निल में उल्लेख किया है कि यह सहकारिता अब संचालित होने की स्थिति में नहीं है. सहकारिता की अध्यक्ष ने सहकारिता को परिसमापन में लाये जाने का लेख किया है.

सहकारिता के अध्यक्ष के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि उसने कार्य करना बंद कर दिया है. इस प्रकार उपरोक्त सहकारिता में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (ए/क) में वर्णित स्थिति अर्थात सहकारिता ने काम करना बंद कर दिया है, निर्मित हो गई है. इस कारण सहकारिता को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त सहकारी संस्था को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना -पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/218, दिनांक 26 फरवरी, 2014 जारी किया गया कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, गृह लक्ष्मी स्वायत्त सहकारिता मर्यादित लटेरी, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही. डी. एस./20, दिनांक 06 जुलाई, 2002 का परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड लटेरी को धारा-70 के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक.

(333-D)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर

मन्दसौर, दिनांक 31 मार्च, 2014

दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., प्रतापपुरा, तहसील सुवासरा, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 694, दिनांक 07 जुलाई, 1993 है को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/654/2013, दिनांक 03 सितम्बर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री के. एल. वधवा, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें स्वत्व सम्बन्धी कोई कार्यवाही शेष नहीं है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं सहमत हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, भारतसिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ कि संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(334)

मन्दसौर, दिनांक 31 मार्च, 2014

भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 35, दिनांक 11 नवम्बर, 1986 है को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/657/2013, दिनांक 03 सितम्बर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सुश्री विपिन बड़गोती, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें स्वत्व सम्बन्धी कोई कार्यवाही शेष नहीं है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं सहमत हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, भारतसिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ कि संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(334-A)

मन्दसौर, दिनांक 31 मार्च, 2014

दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., सेमली, तहसील सुवासरा, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 720, दिनांक 16 जून, 1994 है को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/656/2013, दिनांक 03 सितम्बर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री अनिल ओझा, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त

किया गया है. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें स्वत्व सम्बन्धी कोई कार्यवाही शेष नहीं है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं सहमत हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, भारतसिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ कि संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(334-B)

मन्दसौर, दिनांक 31 मार्च, 2014

दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., रहीमगढ़, तहसील सुवासरा, जिला मन्दसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 742, दिनांक 20 फरवरी, 1995 है को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/655/2013, दिनांक 03 सितम्बर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री राजेश अग्रवाल, उप-अंकेक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें स्वत्व सम्बन्धी कोई कार्यवाही शेष नहीं है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं सहमत हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, भारतसिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ कि संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(334-C)

मन्दसौर, दिनांक 31 मार्च, 2014

दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., हरसौल, तहसील मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 603, दिनांक 04 जनवरी, 1991 है को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/1103/2012, दिनांक 06 अक्टूबर, 2012 एवं क्र.-650, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री एस. एल. बामनिया, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें स्वत्व सम्बन्धी कोई कार्यवाही शेष नहीं है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं सहमत हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, भारतसिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ कि संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

भारतसिंह चौहान,
उप-पंजीयक.

(334-D)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बालाघाट

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उ.प.बा./परि./2011/971, बालाघाट, दिनांक 22 जुलाई, 2011 के द्वारा प्रा. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, नैतरा, पंजीयन क्रमांक 324, दिनांक 25 फरवरी, 1987, विकासखण्ड लालबर्रा, जिला बालाघाट जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी

अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, लालबर्रा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) के माध्यम से कराया गया. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में प्रा. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, नैतरा, पंजीयन क्रमांक 324, दिनांक 25 फरवरी, 1987, विकासखण्ड लालबर्रा, जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रा. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, नैतरा, पंजीयन क्रमांक 324, दिनांक 25 फरवरी, 1987, विकासखण्ड लालबर्रा, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है.

अत: मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रा. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, नैतरा, पंजीयन क्रमांक 324, दिनांक 25 फरवरी, 1987, विकासखण्ड लालबर्रा, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(335)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उ.प.बा./परि./2013/1471, बालाघाट, दिनांक 03 नवम्बर, 2006 के द्वारा दी गवर्नमेंट को. आप. डिपार्टमेंट एम्प्लाईज सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 208, दिनांक 28 नवम्बर, 1970, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, लालबर्रा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) के माध्यम से कराया गया. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में दी गवर्नमेंट को. आप. डिपार्टमेंट एम्प्लाईज सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 208, दिनांक 28 नवम्बर, 1970, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि दी गवर्नमेंट को. आप. डिपार्टमेंट एम्प्लाईज सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 208, दिनांक 28 नवम्बर, 1970, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है.

अत: मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दी गवर्नमेंट को. आप. डिपार्टमेंट एम्प्लाईज सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 208, दिनांक 28 नवम्बर, 1970, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(335-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उ.प.बा./परि./2007/971, बालाघाट, दिनांक 02 जुलाई, 2011 के द्वारा प्रा. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, छतेरा, पंजीयन क्रमांक 331, दिनांक 25 फरवरी, 1987, विकासखण्ड लालबर्रा, जिला बालाघाट जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, लालबर्रा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) के माध्यम से कराया गया. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में प्रा. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, छतेरा, पंजीयन क्रमांक 331, दिनांक 25 फरवरी, 1987, विकासखण्ड लालबर्रा, जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रा. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, छतेरा, पंजीयन क्रमांक 331, दिनांक 25 फरवरी, 1987, विकासखण्ड लालबर्रा, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है.

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रा. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, छतेरा, पंजीयन क्रमांक 331, दिनांक 25 फरवरी, 1987, विकासखण्ड लालबर्रा, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

जी. एस. डेहरिया,
उप-रजिस्ट्रार.

(335-C)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर

नरसिंहपुर, दिनांक 24 जनवरी, 2014

क्र./उरन/परि./2013-14/88.—कार्यालयीन आदेश पत्र क्रमांक/उरन/परि./13-14/571/24413, नरसिंहपुर के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, लिंगा पिपरिया, पं. क्र. 558, दिनांक 27 मार्च, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री डी. के. शुक्ला, प्रबन्धक, दुग्ध शीत केन्द्र, जिला नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी आदि का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी-देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, लिंगा पिपरिया, पं. क्र. 558, दिनांक 27 मार्च, 1997, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 24 जनवरी, 2014 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(336)

नरसिंहपुर, दिनांक 24 जनवरी, 2014

क्र./उरन/परि./2013-14/89.—कार्यालयीन आदेश पत्र क्रमांक/उरन/परि./13-14/571/24413, नरसिंहपुर के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बम्होरी (राजमार्ग), पं. क्र. 502, दिनांक 31 दिसम्बर, 1996 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री डी. के. शुक्ला, प्रबन्धक, दुग्ध शीत केन्द्र, जिला नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी आदि का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी-देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बम्होरी (राजमार्ग), पं. क्र. 502, दिनांक 31 दिसम्बर, 1996, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 24 जनवरी, 2014 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(336-A)

नरसिंहपुर, दिनांक 24 जनवरी, 2014

क्र./उरन/परि./2013-14/90.—कार्यालयीन आदेश पत्र क्रमांक/उरन/परि./13-14/571/24413, नरसिंहपुर के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, नांदनेर, पं. क्र. 541, दिनांक 18 मार्च, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री डी. के. शुक्ला, प्रबन्धक, दुग्ध शीत केन्द्र, जिला नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी आदि का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी-देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, नांदनेर, पं. क्र. 541, दिनांक 18 मार्च, 1997, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 24 जनवरी, 2014 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(336-B)

नरसिंहपुर, दिनांक 24 जनवरी, 2014

क्र./उरन/परि./2013-14/91.—कार्यालयीन आदेश पत्र क्रमांक/उरन/परि./13-14/571/24413, नरसिंहपुर के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, चिर्रिया, पं. क्र. 542, दिनांक 18 फरवरी, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री डी. के. शुक्ला, प्रबन्धक, दुग्ध शीत केन्द्र, जिला नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी आदि का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी-देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, चिर्रिया, पं. क्र. 542, दिनांक 18 फरवरी, 1997, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 24 जनवरी, 2014 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(336-C)

नरसिंहपुर, दिनांक 24 जनवरी, 2014

क्र./उरन/परि./2013-14/92.—कार्यालयीन आदेश पत्र क्रमांक/उरन/परि./13-14/571/24413, नरसिंहपुर के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कामती (पिठेहरा), पं. क्र. 548, दिनांक 26 मार्च, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री डी. के. शुक्ला, प्रबन्धक, दुग्ध शीत केन्द्र, जिला नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी आदि का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी-देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कामती (पिठेहरा), पं. क्र. 548, दिनांक 26 मार्च, 1997, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 24 जनवरी, 2014 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(336-D)

नरसिंहपुर, दिनांक 24 जनवरी, 2014

क्र./उरन/परि./2013-14/95.—कार्यालयीन आदेश पत्र क्रमांक/उरन/परि./13-14/571/24413, नरसिंहपुर के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, लिलवानी, पं. क्र. 537, दिनांक 14 मार्च, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री डी. के. शुक्ला, प्रबन्धक, दुग्ध शीत केन्द्र, जिला नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी आदि का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी-देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, लिलवानी, पं. क्र. 537, दिनांक 14 मार्च, 1997, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 24 जनवरी, 2014 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(336-E)

नरसिंहपुर, दिनांक 24 जनवरी, 2014

क्र./उरन/परि./2013-14/96.—कार्यालयीन आदेश पत्र क्रमांक/उरन/परि./13-14/571/24413, नरसिंहपुर के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, रमपुरा (तेंदू), पं. क्र. 523, दिनांक 03 मार्च, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री डी. के. शुक्ला, प्रबन्धक, दुग्ध शीत केन्द्र, जिला नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी आदि का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी-देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, रमपुरा (तेंदू), पं. क्र. 523, दिनांक 03 मार्च, 1997, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 24 जनवरी, 2014 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(336-F)

नरसिंहपुर, दिनांक 24 जनवरी, 2014

क्र./उरन/परि./2013-14/97.—कार्यालयीन आदेश पत्र क्रमांक/उरन/परि./13-14/571/24413, नरसिंहपुर के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पनारी, पं. क्र. 538, दिनांक 17 मार्च, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री डी. के. शुक्ला, प्रबन्धक, दुग्ध शीत केन्द्र, जिला नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी आदि का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी-देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पनारी, पं. क्र. 538, दिनांक 17 मार्च, 1997, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 24 जनवरी, 2014 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

डी. पी. सिंह,
उप-रजिस्ट्रार.

(336-G)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा

रीवा, दिनांक 29 मार्च, 2014

यह कि महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पटपरा, पंजीयन क्र./862, दिनांक 15 अक्टूबर, 2003 को कार्यालयीन आदेश क्र./1570, दिनांक 29 अगस्त, 2013 से परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एव देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियाँ, जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई,1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पटपरा का पंजीयन क्र./862, दिनांक 15 अक्टूबर, 2003 निरस्त करता हूँ एवं उसका निगमित निकाय समाप्त करता हूँ.

(337)

रीवा, दिनांक 29 मार्च, 2014

यह कि महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बहेराडाबर, पंजीयन क्र./869, दिनांक 20 अप्रैल, 2004 को कार्यालयीन आदेश क्र./1570, दिनांक 29 अगस्त, 2013 से परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एव देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियाँ, जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई,1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बहेराडाबर का पंजीयन क्र./869, दिनांक 20 अप्रैल, 2004 निरस्त करता हूँ एवं उसका निगमित निकाय समाप्त करता हूँ.

(337-A)

रीवा, दिनांक 29 मार्च, 2014

यह कि आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या., ढेरा, पंजीयन क्र./813, दिनांक 10 जनवरी, 2000 को कार्यालयीन आदेश क्र./1570, दिनांक 29 अगस्त, 2013 से परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एव देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियाँ, जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई,1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या., ढेरा का पंजीयन क्र./813, दिनांक 10 जनवरी, 2000 निरस्त करता हूँ एवं उसका निगमित निकाय समाप्त करता हूँ.

(337-B)

रीवा, दिनांक 29 मार्च, 2014

यह कि किसान कल्याणकारी सहकारी समिति मर्या., रीवा, पंजीयन क्र./10, दिनांक 23 मार्च, 1956 को कार्यालयीन आदेश क्र./1580, दिनांक 31 अगस्त, 2013 से परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एव देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियाँ, जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई,1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए किसान कल्याणकारी सहकारी समिति मर्या., रीवा का पंजीयन क्र./10, दिनांक 23 मार्च, 1956 निरस्त करता हूँ एवं उसका निगमित निकाय समाप्त करता हूँ.

(337-C)

रीवा, दिनांक 29 मार्च, 2014

यह कि ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., खुंटेही रीवा, पंजीयन क्र./744, दिनांक 09 दिसम्बर, 1995 को कार्यालयीन आदेश क्र./1571, दिनांक 29 अगस्त, 2013 से परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एव देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियाँ, जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., खुंटेही रीवा का पंजीयन क्र./744, दिनांक 09 दिसम्बर, 1995 निरस्त करता हूँ एवं उसका निगमित निकाय समाप्त करता हूँ.

पी. एन. गोडरिया,
उप-पंजीयक.

(337-D)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला रायसेन

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

परिसमापित महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बेरखेडीकला, तहसील बरेली, जिला रायसेन, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आर.एस.एन. 873, दिनांक 13 अप्रैल, 2004 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1126, दिनांक 30 जुलाई, 2011 अनुसार परिसमापन में लाई गई थी. परिसमापक द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था एवं संस्था की लेनदारी-देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, रायसेन, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह -1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये परिसमापित महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बेरखेडीकला, तहसील बरेली, जिला रायसेन, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आर.एस.एन. 873, दिनांक 13 अप्रैल, 2004 का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(338)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

परिसमापित महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पिपरिया करनसिंह, तहसील बरेली, जिला रायसेन, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आर.एस.एन. 880, दिनांक 28 जुलाई, 2004 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1126, दिनांक 30 जुलाई, 2011 अनुसार परिसमापन में लाई गई थी. परिसमापक द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था एवं संस्था की लेनदारी-देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, रायसेन, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह -1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये परिसमापित महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पिपरिया करनसिंह, तहसील बरेली, जिला रायसेन, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आर.एस.एन. 880, दिनांक 28 जुलाई, 2004 का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(338-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

परिसमापित बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बाडी, तहसील बरेली, जिला रायसेन, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आर.एस.एन. 694,

दिनांक 11 सितम्बर, 2000 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1126, दिनांक 30 जुलाई, 2011 अनुसार परिसमापन में लाई गई थी. परिसमापक द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था एवं संस्था की लेनदारी-देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, रायसेन, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह -1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये परिसमापित बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बाडी, तहसील बरेली, जिला रायसेन, पंजीयन क्रमांक/ डी.आर./आर.एस.एन. 694, दिनांक 11 सितम्बर, 2000 का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(338-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

परिसमापित महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कूटनासिर, तहसील बरेली, जिला रायसेन, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आर.एस.एन. 886, दिनांक 17 अगस्त, 2004 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1126, दिनांक 30 जुलाई, 2011 अनुसार परिसमापन में लाई गई थी. परिसमापक द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था एवं संस्था की लेनदारी-देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, रायसेन, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह -1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये परिसमापित महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कूटनासिर, तहसील बरेली, जिला रायसेन, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आर.एस.एन. 886, दिनांक 17 अगस्त, 2004 का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(338-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

परिसमापित महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भारकच्छकला, तहसील बरेली, जिला रायसेन, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आर.एस.एन. 885, दिनांक 12 अगस्त, 2004 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1126, दिनांक 30 जुलाई, 2011 अनुसार परिसमापन में लाई गई थी. परिसमापक द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था एवं संस्था की लेनदारी-देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, रायसेन, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह -1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये परिसमापित महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भारकच्छकला, तहसील बरेली, जिला रायसेन, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आर.एस.एन. 885, दिनांक 12 अगस्त, 2004 का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(338-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

परिसमापित ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., बरेली, तहसील बरेली, जिला रायसेन, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आर.एस.एन. 844, दिनांक 19 सितम्बर, 2003 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1126, दिनांक 30 जुलाई, 2011 अनुसार परिसमापन में लाई गई थी. परिसमापक द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था एवं संस्था की लेनदारी-देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, रायसेन, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह -1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये परिसमापित ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., बरेली, तहसील बरेली, जिला रायसेन, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आर.एस.एन. 844, दिनांक 19 सितम्बर, 2003 का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

विनोद कुमार सिंह,
उप-आयुक्त सहकारिता.

(338-E)

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 08 जनवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/क्यू.-1.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/2576, उज्जैन, दिनांक 19 नवम्बर, 2013 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री सिन्थेटिक्स एम्पलाईज क्रेडिट को-ऑप. सोसा. मर्या., उज्जैन	372/27-06-1974	2576/19-11-2013
2.	भारतीय साख सहकारी समिति मर्या., उज्जैन	1083/17-06-1993	2576/19-11-2013

अत: मैं, श्री एम. के. गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इन समितियों के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 08 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

एम. के. गुप्ता,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(311-A)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

झाबुआ, दिनांक 28 फरवरी, 2014

क्र./परि./2014-173.—अपेक्स गुप श्रमिक कर्म. साख मर्यादित, मेघनगर, तहसील मेघनगर, जिला झाबुआ, पंजीयन क्रमांक/888, दिनांक 04 अप्रैल, 1995 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/302, दिनांक 16 अप्रैल, 2012 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 28 फरवरी, 2014 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बबलू सातनकर,
उप-पंजीयक.

(339)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 मई, 2014-वैशाख 26, शके 1936

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 15 जनवरी, 2014

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के निम्नलिखित जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील अशोकनगर, मुँगावली, चन्देरी (अशोकनगर), निवाड़ी, जतारा, टीकमगढ़, ओरछा (टीकमगढ़), लवकुशनगर, गौरीहार, छतरपुर (छतरपुर), पन्ना, गुन्नौर, पवई, अजयगढ़ (पन्ना), देवरी, केसली (सागर), रघुराजनगर, रामपुर-वघेलान, नागौद (सतना) सिरमौर, मऊगंज, रायपुरकुर्चुलियान (रीवा), जेतहरी, अनूपपुर, कोतमा (अनूपपुर), बांधवगढ़, पाली, मानपुर (उमरिया), सिंहावल, मझौली, चुरहट, रामपुर-नैकिन (सीधी), विदिशा (विदिशा), रायसेन, गैरतगंज, बेगमगंज, गोहरगंज, सिलवानी (रायसेन), सीहोरा, मझौली, कुन्डम (जबलपुर), कटनी, रीठी, बहोरीबंद, ढीमरखेड़ा, बरही, बडवार (कटनी), बिछिया, मण्डला (मण्डला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील हनुमना, हजूर, गुढ़ (रीवा), कुसमी (सीधी), पाटन, जबलपुर (जबलपुर), विजयराघवगढ़ (कटनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील त्योंथर (रीवा), गोपदवनास (सीधी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, रीवा, उमरिया, जबलपुर में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला श्योपुर, रीवा, उमरिया, में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**— . .

5. **कटाई.**—जिला बैतूल में खरीफ फसल गन्ना की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, उमरिया में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 15 जनवरी, 2014

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. विजयपुर	. .				
***जिला भिण्ड :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भिण्ड	. .		(2) . .		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .		4. (1) गन्ना, मूँग-मोठ, तुअर, मूँगफली, तिली अधिक. उड़द कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) मक्का.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर:	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	2.0		4. (1) सोयाबीन, गेहूँ अधिक. उड़द, मक्का, गन्ना, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	4.0				
4. चन्देरी	2.0				
5. शाढौरा	. .				
6. नई सराय	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राघौगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	6.0		4. (1) गन्ना, तुअर, गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	2.0				
4. टीकमगढ़	3.0				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	1.0				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लवकुशनगर	5.0		4. (1) ज्वार, अरहर अधिक. तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	2.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	7.2				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बक्सवाहा	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	10.4		4. (1) मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन, चना, राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर, आलू, प्याज अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मूँग, तिल, गेहूँ जौ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	8.6				
3. गुन्नौर	8.0				
4. पवई	3.0				
5. शाहनगर	. .		(2) . .		
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	4.0				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	2.0				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) लाख, तिवड़ा, तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी सुधरी.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	4.0		4. (1) गेहूँ अधिक. अलसी, तुअर कम. चना, मसूर, सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. रामपुर-बघेलान	6.0				
4. नागौद	1.6				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	36.0		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, जौ कम. अरहर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	5.6		(2) . .		
3. मऊगंज	10.0				
4. हनुमना	25.4				
5. हजूर	22.0				
6. गुढ़	19.0				
7.रायपुरकर्चुलियान	11.0				
***जिला शहडोल :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोहागपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	6.7		4. (1) चना, मटर, गेहूँ अधिक. मसूर कम. राई-सरसों, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	2.6		(2) . .		
3. कोतमा	3.5				
4. पुष्पराजगढ़	. .				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	4.5		4. (1) गेहूँ ,चना, मटर, अलसी, राई-सरसों, तुअर अधिक. जौ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	5.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मानपुर	16.0				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	40.0		4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, मटर, मसूर, गेहूँ, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	13.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	8.0				
4. कुसमी	27.0				
5. चुरहट	11.0				
6. रामपुरनैकिन	6.0				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) धान, तुअर, गेहूँ अधिक. जौ कम. ज्वार, मूँग, उड़द, कोदों, राई-सरसों, अलसी, मसूर, चना, आलू समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .				
3. सिंगरौली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक. रायड़ा, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. सीतामऊ	. .				
7. धुन्धडका	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, अधिक मसूर, मटर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. मनासा	. .				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
7. ताल	. .				
8. रावरी	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) तुअर, उड़द, मूँग-मोठ, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		कपास, मूँगफली कम.	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) गेहूँ, चना, कपास अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. तुअर, चना कम. ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		कपास समान.	चारा पर्याप्त.	
3. भामरा	. .		(2) . .		
4. सोण्डवा	. .				
5. कट्टीवाड़ा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	. .		4. (1) सोयाबीन, कपास, मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		कपास,मूँगफली, तुवर, गेहूँ,	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	. .		चना, अलसी, राई-सरसों समान.		
4. खरगौन	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला बड़वानी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .		
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
8. अंजड	. .				
9. बरला	. .				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) कपास, तुअर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, सरसों, मसूर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. नरसिंहगढ़	. .				
7. पचोर	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) अलसी, राई-सरसों, लाख.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	6.0				
7. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) गेहूँ, मसूर, चना, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	. .	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	3.8		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, सरसों, अलसी, गन्ना सुधरी हुईं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	0.2				
3. बेगमगंज	1.6		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
4. गोहरगंज	4.0				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	2.0				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसल गन्ने की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	. .		4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. बैतूल	. .				
4. मुलताई	. .				
5. आमला	. .				
6. आठनेर	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) चना, मटर, मसूर, मूँग-मोठ अधिक, गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बाबई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) उपरोक्त फसल समान.		
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. सीहोरा	14.6		4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों समान.	6. . .	8. . .
2. पाटन	17.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जबलपुर	21.1				
4. मझौली	4.0				
5. कुण्डम	11.0				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	13.7		4. (1) चना, अलसी, मसूर, गेहूँ, राई-सरसों, मटर, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	15.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. विजयराघवगढ़	27.0				
4. बहोरीबंद	9.4				
5. ढीमरखेड़ा	4.0				
6. बरही	17.0				
7. बड़वार	5.0				

1	2	3	4	5	6
***जिला नरसिंहपुर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	3.3		समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. मण्डला	1.2				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) तुअर,राई-सरसों, गेहूँ, चना, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		अलसी, मटर समान.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) गेहूँ, चना,मटर, मसूर, तिवड़ा समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. हर्रई	. .				
11. मोहखेड़ा	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) मक्का, धान, तुअर, रामतिल, गन्ना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		गेहूँ, चना, मटर,राई-सरसों अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	. .		ज्वार, बाजरा,कोदों-कुटकी,उड़द,		
4. बरघाट	. .		सोयाबीन,तिल, सन, लाख, तिवड़ा		
5. कुरई	. .		कम.मूँग, मूँगफली, मसूर, अलसी		
6. घंसौर	. .		समान.		
7. घनोरा	. .		(2) . .		
8. छपारा	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला भिण्ड, शहडोल, बड़वानी, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(324)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.